न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2019 – निगरानी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा –निगराकार	बनाम	1. गोकल पिता कालू भील निवासी सरेरी तहसील हुरडा 2. ग्राम पंचायत सरेरी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत सरेरी तहसील हुरडा – गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आदेश ग्राम पंचायत सरेरी पं.सं. हुरडा पटटा सं. 38 दिनांक 17.10.2016

उपस्थित –

1. श्री बी. एल. बापना अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. विपक्षी सं. 01 उपस्थित नहीं – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 26.07.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार सं. 01 ने दिनांक 09.08.2016 को गैर निगराकार सं. 02 ग्राम पंचायत सरेरी के सरपंच के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अपने पुश्तैनी आवासीय मकान/ प्लॉट/बाड़ा वाके ग्राम सरेरी का पटटा दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पंचायत ने मिसल दायर की। गैर निगरकार सं. 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उसने कोई हस्ताक्षर निशानी नहीं किये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के प्रावधानानुसार उसने आवासीय मकान की पहचान के लिये पर्याप्त विवरण, पड़ौस, मौहल्ला आदि अंकित नहीं किये और न ही स्थल निरीक्षण व्यय के लिये नियमानुसार राशि जमा करायी है और न ही अपने आवेदन पत्र के साथ स्थल नक्शा संलग्न किया हैं तथा स्थल नक्शा तैयार करने के लिये नियमानुसार राशि भी जमा नही करायी हैं। तीन वार्ड पंचों का मौका निरीक्षण रिपोर्ट 17.10.2016 को पंचायत में पेश की जिसमें बताया कि मकान इनका स्वयं का हैं और कब्जा 40–50 वर्षो से चला आ रहा हैं। निरीक्षण हेतु जिन तीन वार्ड पंचों को नियुक्त किया गया था उनमें माया कुमावत का नाम नहीं हैं, किन्तु मौका निरीक्षण रिपोर्ट में वार्ड पंच माया कुमावत का नाम लिखा हुआ हैं। किन्तु रिपोर्ट पर उसके कहीं हस्ताक्षर नहीं हैं। मौका निरीक्षण में वार्ड पंच रामपाल बलाई का नाम नहीं लिखा हुआ हैं जबकि उक्त रिपोर्ट पर रामपाल के हस्ताक्षर हो रहे है। आम आपत्ति सूचना पत्र भी विधिवत रूप से जारी नहीं किया गया। ग्राम पंचायत सरेरी एवं मौका निरीक्षण कमेटी रिपोर्ट अनुसार मौके पर किसी प्रकार का आवासीय निर्माण नहीं होकर खाली जगह पड़ी होना बताया गया। गैर निगराकार सं. 02 ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 161 तक के प्रावधानों की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (राज.)

कोई पालना नही की हैं, जिससे गैर निगराकार सं. 01 को जारी किया गया पटटा अवैध होने से निरस्त होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 01 को गैर निगराकार सं. 02 द्वारा जारी किये गये उक्त पटटे को निरस्त कराया जावे।

प्रस्तुत निगरानी प्रकरण दिनांक 11.01.2019 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत सरेरी से पत्रावली तलब की गयी। गैर निगराकार सं. 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नही है। गैर निगराकार सं. 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 11 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर निगरकार सं. 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उसने कोई हस्ताक्षर निशानी नहीं किये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के प्रावधानानुसार उसने आवासीय मकान की पहचान के लिये पर्याप्त विवरण, पड़ौस, मौहल्ला आदि अंकित नहीं किये और न ही स्थल निरीक्षण व्यय के लिये नियमानुसार राशि जमा करायी है और न ही अपने आवेदन पत्र के साथ स्थल नक्शा संलग्न किया हैं तथा स्थल नक्शा तैयार करने के लिये नियमानुसार राशि भी जमा नही करायी हैं। तीन वार्ड पंचों का मौका निरीक्षण रिपोर्ट 17.10.2016 को पंचायत में पेश की जिसमें बताया कि मकान इनका स्वयं का हैं और कब्जा 40-50 वर्षों से चला आ रहा हैं। निरीक्षण हेतु जिन तीन वार्ड पंचों को नियुक्त किया गया था उनमें माया कुमावत का नाम नहीं हैं, किन्तु मौका निरीक्षण रिपोर्ट में वार्ड पंच माया कुमावत का नाम लिखा हुआ हैं। किन्तु रिपोर्ट पर उसके कहीं हस्ताक्षर नहीं हैं। मौका निरीक्षण में वार्ड पंच रामपाल बलाई का नाम नहीं लिखा हुआ हैं जबकि उक्त रिपोर्ट पर रामपाल के हस्ताक्षर हो रहे है। आम आपत्ति सूचना पत्र भी विधिवत रूप से जारी नहीं किया गया। ग्राम पंचायत सरेरी एवं मौका निरीक्षण कमेटी रिपोर्ट अनुसार मौके पर किसी प्रकार का आवासीय निर्माण नहीं होकर खाली जगह पड़ी होना बताया गया। गैर निगराकार सं. 02 ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 161 तक के प्रावधानों की कोई पालना नही की हैं, जिससे गैर निगराकार सं. 01 को जारी किया गया पटटा अवैध होने से निरस्त होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 01 को गैर निगराकार सं. 02 द्वारा जारी किये गये उक्त पटटे को निरस्त कराया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार तहसीलदार हुरडा द्वारा प्रेषित कमांक/928-929 दिनांक 16.02.2018 अनुसार "**पटटा सं. 38 गोकल पिता कालू भील निवासी सरेरी के नाम का जारीशुदा होकर मौके पर राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 1629/1305 रकबा 10.00 बीघा होकर गे.मु. आबादी भूमि में है। मौके पर उक्त पटटा में दर्शायी भूमि पडत व खाली है।**"

विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा द्वारा प्रेषित

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

पत्रांक / पसहु / स्था. / 2017–18 / 1951 दिनांक 22.02.2018 अनुसार **"गोकल पिता कालू भील निवासी सरेरी को बुक सं. 2253 पटटा सं. 38 दिनांक 17.10.2016 को आवासीय पटटा जारी किया गया। जिस पर किसी भी प्रकार का आवासीय निर्माण नही होकर खाली जगह पडी हुयी है।"**

जबकि गैर निगराकार सं. 01 ने ग्राम पंचायत को प्रस्तुत अपने आवेदन में प्रार्थी का पुश्तैनी आवासीय मकान होना अंकित किया है। प्रकरण में गैर निगराकार 01 द्वारा उक्त पटटे पर कब्जा होने संबंधी एवं आवासीय मकान निर्मित होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। इस प्रकार गैर निगराकार सं. 02 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया पटटा सं. 38 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 161 तक के प्रावधानों की पालना नही कर विधि विरूद्व जारी किये जाने से प्रारम्भ से ही शून्य है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत सरेरी स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार हुरडा एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत सरेरी द्वारा जारी पटटा सं. 38 दिनांक 17.10.2016 गे.मु. आबादी भूमि को श्री गोकल पिता कालू भील निवासी सरेरी तहसील हुरडा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 161 तक के प्रावधानों की कोई पालना नही कर विधि विरूद्व जारी किये जाने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार हुरडा व विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा को प्रेषित किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत सरेरी को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)